

न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्ता, गुमला (3)

अनुमति वाद संख्या-720/19-26

..... आवेदक
हानील उरौव

बनाम

..... विपक्षी
जहरी कुमारी

आदेश

आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण श्री/श्रीमती हानील उरौव
पिता/पति स्व. जमशंकर उरौव निवास,
ग्राम फरिसा प्रोहायेती थाना गुमला जिला गुमला ने निम्नांकित
विवरण की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित्त छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम
1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के
आधार पर अनुमति वाद प्रारम्भ किया गया।

भूमि का विवरण

राजस्व ग्राम	थाना का नाम एवं संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़)
फरिसा	गुमला 60	7	184	0-10 (फु.)
(दस डिग्रीस)				

आवेदित भूमि को आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण प्रस्तावित कंता
श्री/श्रीमती जहरी कुमारी पिता/पति गतल खरिसा
निवासी ग्राम फरिसा थाना गुमला जिला
गुमला को राशि रुपये 5,10,000/- (पाँच लाख केवल हजार (रु.) पर
बिक्री करने का तय किया है। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण को मकान बनाने/इलाज
हेतु/हर बैल खरीदने हेतु रुपये की आवश्यकता है, रुपये आने का अन्य कोई अन्य श्रोत
नहीं रहने के कारण ही आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण भूमि की बिक्री कर रहे हैं।
अंचलाधिकारी गुमला को भेजते हुए जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, एवं आम
ईशतेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी गुमला के कार्यालय के
पत्रांक 893 दिनांक 11/11/19 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है,
जिसके द्वारा आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति

प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। आम सूचना के तामिला के बावजूद अभी तक किसी की ओर से किसी प्रकार की कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी/खरीदगी एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूमि बन्दोबस्ती भू-हदबन्दी भूदान, वनसीमा, एवं भू-अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनों पक्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के अन्तर्गत जाति के ~~कुर्बान~~ रवाइमा है, साथ ही एक ही थाना के निवासी है।

अतः अंचल अधिकारी गुमला के जाँच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर निम्नांकित विवरण की भूमि को आवेदक/आवेदिका/आवेदकगण श्री/श्रीमती रानील उर्वर पिता/प्रति शिवशंकर उर्वर निवासी ग्राम फुदिया पोहायेनी थाना गुमला जिला गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि रुपये अथवा जिला निबंधन कार्यालय के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनों में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के अन्तर्गत एतद द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

भूमि का विवरण

राजस्व ग्राम	थाना का नाम एवं संख्या	खाता संख्या	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़)
फुदिया	गुमला 60	7	184	0.10 एकड़

(कुल 41 डिहमील)

चौहदी - उत्तर- आवेदक का नीज टोंड
पूरब- राहना पुराना कच्चा

दक्षिण- शिवशंकर उर्वर का
टोंड
पश्चिम- आवेदक का नीज टोंड

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
गुमला।

भूमि सुधार उप-समाहर्ता,
गुमला।